न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अजीतसिंह राजावत आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 39 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांटरा	रेस्पोडेंटगण
बलदेवसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी सरवड़ी पुरोहितान तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	1. आसूसिंह पुत्र सोहनसिंह 2. मेघसिंह पुत्र सोहनसिंह 3. मूलीदेवी वेवा राधाकिशन 4. गणपतसिंह पुत्र प्रेमसिंह 5. श्रीमती हंजादेवी वेवा प्रेमसिंह 6. पेपसिंह पुत्र हेमसिंह 7. गोपालसिंह पुत्र हेमसिंह 8. गिरधारीसिंह पुत्र हेमसिंह 9. सुगनोदेवी वेवा हेमसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीयान सरवड़ी पुरोहितान तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा 11. जेठूसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सरवड़ी पुरोहितान तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 163 / 2012 बअनवान आसुसिंह वगैरा बनाम मूलीदेवी वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री 26.04.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री ओमसिंह राजपुरोहित अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रामसिंह राजुरोहित रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—04.09.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सरवड़ी में स्थित खेत खसरा संख्या 220 रकबा 41.03 बीघा, खसरा संख्या 278 रकबा 09.05 बीघा, खसरा संख्या 471 रकबा 50.06 बीघा, खसरा संख्या 640 / 25 रकबा 29.01 बीघा, खसरा संख्या 720 / 274 रकबा 07.18 बीघा, खसरा संख्या 752 / 313 रकबा 08.16 बीघा, खसरा संख्या 754 / 313 रकबा 13.07 बीघा, खसरा संख्या 840 / 372 रकबा 17.02 बीघा, खसरा संख्या 871 / 404 रकबा 19 बीघा, खसरा संख्या 873 / 405 रकबा 11.05 बीघा कुल रकबा 207.03 बीघा भूमि बाबत बंटवाड़ा का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत वाद में प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.06.2015 को जारी की गई तथा उसके पश्चात पत्रावली को दाखिल दफ्तर कर दिया गया तथा उसके पश्चात सीधे दिनांक 26.04.2017 को अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार पचपदरा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार पचपदरा द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत प्रस्तावित कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। वादग्रस्त आराजी के खेत खसरा संख्या 752/313 व 754/313 के बटे कायम करते हुए जो भूमि रेस्पोडेंटस के हक हिस्से में रखी गई उपरोक्त भूमि हाईवे पर स्थित होने एवं उसकी कीमत लाखो रूपयों में होने से उपरोक्त भूमि में अपीलांट को उसके हक हिस्से से वंचित रखा गया जिससे भी उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव कानून सम्मत नहीं है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। दिनांक 25.06.2021 को रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांटस के हक हिस्सा में दखलअंदाजी, रूकावट पैदा करने पर उपरोक्त निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब श्रीमान के समक्ष अपील पेश की गई है जिसमें जानबुझ कर देरानी नहीं की गई तथा उपरोक्त निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में एवं उनके अधिवक्ता को भी उपरोक्त तथ्यों की जानकारी नहीं होने से उनके द्वारा अपीलांट को जानकारी नहीं दी गई। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी विंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटस द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील पेश नहीं की गई इससे साफ जाहिर होता है कि हिस्सों को लेकर अपीलांटस रमजान वगै. को कोई आपति नहीं है। अपीलाधीन आराजी का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा अपनी उपस्थिति में उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। तत्पश्चात अंतिम डिक्री पारित की गई। अपीलांटस येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैः और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds तैयार किये गए तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटस की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर वादी/रेस्पोडेंटस को मिले खातेदारी अधिकारों से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा मातहत अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 163/2012 बअनवान आसुसिंह वगैरा बनाम मूलीदेवी वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री 26.04.2017 को यथावत रखा जाता है।

04.09.24

(अजीतसिंह राजपुरोहित)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.09.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर